

12.21 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**REPORTED EXPLOSION OF AMMUNITION AT
AGRA**

श्रीमती प्रमिला दंडवते : (बम्बई उत्तर मध्य) स्पीकर साहब, पहले मेरा एक सवाल है। अभी 12 बज कर 5 मिनट पर हम को यह जवाब दिया गया है। फिर हम जवाब को कब पढ़ेंगे? यह सारी गड़बड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इण्टेलिजेंट हैं। सवाल करिये।

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"Reported explosion in Agra pointing a country-wide racket in stealing of sophisticated arms and suspicion of a network of ammunition thieves operating with the help of connections in Army depots."

SHRI DEVI LAL (Sonapat)**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record.

श्री देवी लाल : मैं वाक आउट करता हूँ।

Shri Devi Lal then left the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Mr. Speaker, Sir. On 24th February, 1981, an explosion occurred at the premises of Agra Bartan Bhandar, a firm dealing in utensils in Agra. As a result of this explosion two persons are reported to have been killed and four others injured. On getting information about the occurrence, the district authorities visited the spot in order to ascertain the facts of the case and to start in-

vestigations into the matter. During investigation, it came to light that there were heaps containing cartridge cases and metal scraps within the premises where the accident had occurred. During investigation, the local police have arrested 9 persons, out of whom three are the owners of the firm and six others their employees. Action has also been taken to detain the three owners under the National Security Act. The District Magistrate, Agra also deputed the Sub-Divisional Magistrate of Agra to conduct a Magisterial Inquiry into the entire accident. Since an explosion had occurred, it was necessary to ascertain whether there were any live or exploded ammunition within the premises. The area was therefore cordoned off and sealed. At the same time, the district authorities requested the Army authorities through the State Government to depute a team of ammunition experts to survey the premises and categorise the various materials lying there.

On the basis of a request made to the Station Commander, Agra by the District authorities, a technical team of ammunition experts was despatched by the authorities of the Army Central Command to assist the civil administration in this task. The team of experts reached Agra and examined the heaps lying at the premises of Agra Bartan Bhandar, in close cooperation with the local police and district authorities.

After examining the heap, the ammunition technical experts have reported that among other things the following kinds of materials were found at the premises:

(a) 87 pieces which were parts of fired projectiles of 84 mm. Carl Gustav target practice ammunition free from explosives

(b) Two pieces which formed parts of fired projectiles of 84 mm Carl Gustav High Explosive Anti Tank Ammunition, suspected to be blind (i.e. fired but unexploded) containing unconsumed explosive.

(c) One piece of empty shell body (aluminium alloy) of 84 mm Carl Gustav Illuminating Ammunition.

(d) 14 bags containing iron and aluminium scrap consisting of the following.

(i) Base Plugs of Grenade No. 36 M. Hand.

(ii) Fin assemblies of Docket Propelled Gun—7 Ammunition.

(iii) Tail units of projectiles.

(iv) Components of Fuzes.

(e) 14 empty Cartridge Cases of Non-Army origin.

The Army Technical Team also surveyed the ammunition said to have been recovered from another place which is said to be connected with the owners of Agra Bantan Bhandar and kept at Kotwali, in Agra City and found the following:

(a) 5 bags of small Arms cartridge Cases consisting of 7.62 mm, 9 mm and 50 Spotter Tracers approximately weighing 341 Kgs.

(b) 5 rounds of 7.62 mm. ammunition of which 3 bore the markings of POF (68) and the remaining of OFV (71).

It may be mentioned in this connection that after use Small Arms Cartridge Cases are offered to the DGOF for utilisation of brass. In case they are not required by the Factories they are also sold to National Small Scale Industries Corporation since 1973. Subsequently since October 1979, disposal of crushed Small Arms Cartridge Cases is also being done by sale through public auction by the Army Depots. Scrap material is also sold through public auction. Those who deal in metal scraps and manufacturers of utensils often purchase such materials for the use of its metallic contents.

When the firing exercises take place some people living in the surrounding areas often hide themselves in the vicinity of the ranges risking their own lives. Immediately after the firing is over they collect the metal pieces

scattered in the area with a view to selling them later.

At times they take away the shells which are fired, but remain unexploded. Such shells can explode when tinkered with subsequently, causing damage and injuries to persons who are nearby or who tinker with the shells. Some times it is found that the exploded parts have some unexploded material which can explode afterwards when tinkered with.

It may also be mentioned in this connection that the local people indulged in these practices with risk to their own lives in spite of warnings given and widely publicised.

The Ordnance factories and Depots have tight security arrangements to guard building-materials and stores. Further, physical verification of the persons moving out of the factories are also done to prevent theft or pilferage.

There are no reports to show that thefts of ammunition have taken place either from the ammunition depots or the Ordnance Factories. In the Defence Services, there are sufficient precautionary measures and instructions about the safe custody of ammunition which are adequate against any possible act of sabotage, pilferage and stealing.

It has not so far become clear from the investigations as to how the owners of Agra Bantan Bhandar came in possession of the materials found with them, that is to say whether they purchased them from persons who had purchased the same in auction or from those who had collected them from the Firing Ranges or had come in possession of them by any other means. This aspect will become clear by the time the investigation is completed.

In view of these facts, I would submit that it would not be correct to hold that the reported explosion at Agra leads to a disclosure of a country-wide racket in sophisticated arms or to a suspicion of a network of ammunition thieves operating with the help or con-

[Shri Shivraj V. Patil]

facts with Army Depots or Ordnance Factories.

12.28 बजे

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

श्रीमती प्रमिला बंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह जवाब हमको अभी थोड़ा कुछ मिनट पहले मिला है। लेकिन जवाब पढ़ कर ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पुल की वजह से यह सारा मामला हथ-अप करने की कोशिश हो रही है। जो मवाल पूछा गया है और जो जवाब बताया गया है, जो एम्पुनिशन डैकोड्ट्स के पास से रिकवर किए गए हैं उन पर आर्मी की मार्किंग है। उसके बारे में हमारे मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। आज यह सवाल इतने महत्व का है, देश की सेक्योरिटी का, कि यह सवाल केवल क्लिग पार्टी का ही नहीं बल्कि हम सब का और पूरे देश का है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सवाल के ऊपर ज्यादा गहराई में जाना चाहिए।

मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ मिनिस्टर साहब से कि जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कुछ पोलिटेशियन्स, बिजनेसमैन और आर्मीमैन का इन्वाल्वमेंट है, उसके बारे में कुछ घुस कर के खोज हो रही है क्या? इतना ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेशराइज नहीं करते तो आगरा के डी० एस० पी० रेंज ने जो कहा कि हम यह सारा मामला सी० बी० आई० को देना चाहते हैं, इसी से मालूम होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। इंडिपेंडेंट इनक्वायरी हो। लेकिन सी० बी० आई० इनक्वायरी के बारे में आपने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में एक इंडिपेंडेंट इनक्वायरी कराने के लिए क्या सरकार इस सारे मामले को सी

बी आई के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में इस विषय में कुछ नहीं कहा है।

कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस बिल्डिंग में यह घटना हुई, उसके धोनर ने कहा है कि हम यह स्क्रीप खरीद कर लाए हैं। दूसरी तरफ आर्मी आफिसर्स ने कहा है कि बम वगैरह स्क्रीप में नहीं बेचे जाते हैं। अखबार में यह भी कहा गया है कि कार्टेरिज रीफ्रल कर के बेचे जाते हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह काम कितने सालों से चल रहा है। कितने ही सालों से डेकायटस से आम्ब्स और एम्पुनिशन रिकवर किये जाते रहे हैं। सरकार ने इस बारे में आज तक क्या किया है? जब तक यह एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तब तक इस सम्बन्ध में कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं किया गया।

मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आर्मी आफिसर्स कोई गलत काम नहीं करते हैं और इसमें उनका इन्वाल्वमेंट नहीं है। इस बारे में ज्यादा गहराई से खोज होनी चाहिए। अगर हमारी आर्मी के कई लोग इस प्रकार का गलत काम करते हैं और डेकायटस के साथ—इस रिकेट के साथ—उनका सम्बन्ध हो, तो यह एक बहुत दुख की बात है और देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, लोगों को पता है कि पुलिस द्वारा उन की सुरक्षा नहीं होती है। अभी तक हम समझते हैं कि हमारी आर्मी के लोग, डिफेंस के लोग, जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, अच्छे हैं ईमानदार हैं और वे इस प्रकार का गलत काम नहीं करते होंगे। इस एक्सप्लोजन की वजह से अखबारों के जरिए कुछ बातें जनता के सामने आई हैं। मैं समझती हूँ कि हमें इंडियन एक्सप्रेस के

रिपोर्टर को धन्यवाद देना चाहिए। यह प्रैस का काम है कि अगर कहीं इस प्रकार के गलत काम हों तो वे उन्हें एक्सपोज कर दें। न्यूज़प्रीट को महंगा करने से काम नहीं चलेगा। जो रिपोर्ट आई है उसमें गहराई से जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कई लोग रिस्क ले कर, खतरा उठा कर, ऐसी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, जो अनएक्सप्लोडिड हैं और जो बाद में एक्सप्लोड हो सकती हैं। इस बात से हमारा समाधान नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि लोग यह समझेंगे कि यह काम सही ढंग से हो रहा है। आज देश में डैकायट्स का बहुत बड़ा खतरा है। जगर-जगह डैकायटीज हो रही हैं। ट्रेनों में लूट-पाट हो रही है। फूलनदेवी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। ((बखान) अगर उसके पास यह एम्पुनिशन जाता है, तो वह कितने सालों से जा रहा है, कहां से जाता है, किस प्रकार जाता है इन बातों की गहराई से जांच करनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस बारे में जो एनक्वायरी हो रही है, वह सी बी आई के द्वारा होनी चाहिए। मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि इस एनक्वायरी को जल्दी से जल्दी खत्म कर के जो कोई भी जिम्मेदार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

डैकायट्स से मार्किंग वाला जो एम्पुनिशन रिकवर होता है, वह उनके पास कैसे पहुंचता है? वर्तन भंडार के पास ये चीजें कैसे पहुंच गईं? वहां के दो नौकरों को बैग में भरते हुए पकड़ा गया, इसलिए खोज शुरू हुई। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस तरह की कार्यवाहियों के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री शिवराज बी० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी चीज है जिस में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो बोलस बगैरह होते हैं, उस के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है काट्रिज केंस उस के अन्दर, दूसरा होता है प्रोपेलेंट जो चल कर गैस बन कर उसके सामने जो प्रोजेक्टा-यल होता है उस को जा कर पुश करता है। उस को वह बाहर फेंकता है और वह वहां जा कर डिस्ट्रक्शन करता है। ऐसे जनरली ये तीन हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर जो पाया गया है, ये तीनों हिस्से एक जगह पर पायी नहीं गई है। यहाँ पर जो पाया गया है वह प्रोजेक्टाइल है। जो सामने का हिस्सा है वह पाया गया है। मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया भी है कि कभी-कभी जो सामने का हिस्सा है, बुलेट के जैसा जो सामने का हिस्सा होता है जो हिट करता है उस हिस्से के साथ-साथ जो एक्सप्लोसिव होता है कभी कभी बच जाता है। और जब वह एक्सप्लोसिव उस के साथ रह जाता है तो कभी-कभी वह पूरी तरह से एक्सप्लोडेड नहीं होता है, कभी कुछ हिस्सा एक्सप्लाड हुआ रहता है और कुछ हिस्सा रह जाता है। जब वह पूरी तरह से एक्सप्लोड नहीं हुआ रहता है, अर्थात् एक्सप्लोसिव वह पूरी तरह से खतम नहीं हुआ होता है तो वहां गिर जाने के बाद उस को हाथ में ले कर कोई खेले, कोई खिलवाड़ करे, लकड़ी से खेले या किसी और चीज से खेले तो वह एक्सप्लोड हो सकता है और बर्स्ट हो सकता है। यहाँ पर जो पाये गए हैं वह प्रोजेक्टाइल के हिस्से ज्यादातर पाये गए हैं। और दूसरी चीज जो पाई गई है वह बुलेट्स के एम्पटी केसेज हैं। ऐसी चीजें वहाँ पर पाई गई हैं।

ये चीजें उस दुकानदार के पास कैसे पहुंचीं यह सवाल यहाँ पर उठता है। मैंने स्टेटमेंट में बताया है कि ऐसी चीजें दुकानदार के पास कैसे पहुंच सकती हैं। हमारे सिपाही, सैनिक या आर्मी के लोग जब

[श्री शिवराज बी० पाटिल]

एक्सप्लोड करने के लिए जाते हैं तो फायरिंग रेंज पर फायर करते हैं। कभी-कभी फायरिंग रेंज बड़ा रहता है, दो मील, चार मील का भी रहता है और कुछ लोग वहाँ छिप कर बैठते हैं। फायरिंग खत्म होते ही वहाँ वह भाग कर जाते हैं और वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल के टुकड़े पड़े रहते हैं उस को ले लेते हैं। वह प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा... (व्यवधान)...

कभी-कभी वह जो टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं वह ले कर वें जाते हैं और यह जो होता है, इस की दखल जो पहले आर्डर निकला है उस में भी हुई है। मैंने तो खुद अपनी आँखों से जा कर देखा है कि कैसे लोग फायरिंग रेंज पर जा कर बैठते हैं और कैसे फायरिंग होने के बाद वहाँ से भागते हुए आते हैं। इस के बाद मैं आपको 1974 का आर्डर पढ़ कर बताता हूँ जिस में इस फैक्ट की दखल मिलती है —

"Civilians are normally in the habit of recovering metal scrap from ranges for sale in the bazars. Such metal/scrap may contain explosive metal, which if tampered with, may result in serious accidents."

यह जो 1974 का आर्डर है प्रिण्टेड फायरिंग के ऊपर जो भी प्रीकाशस लेने पड़ते हैं, दखता लेनी पड़ती है, उस के सम्बन्ध में लिखा गया है। मैं जो बोल रहा हूँ वह कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ। जो होता है उस के बारे में आप को इन्फार्म कर रहा हूँ।

दूसरी बात यह है कि जब ये शेल्स फायर हो जाते हैं और उस के केसेज मिलते हैं तो पहले तो जो केसेज हैं उनका यह दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ रहता है फायर करने के बाद उसे पहले डायरेक्टर जनरल

आर्डिनेंस फैक्ट्री को दे देते हैं ताकि उस का मेटल वह यूज कर सकें। उस के बाद दूसरों को भी देते हैं। स्माल स्केल इन्स्ट्रुमिन्ट कारपोरेशन जो पब्लिक इन्फ्रस्ट्रक्चर में है उन को भी हम ने देना शुरू किया है। अब 1979 से पब्लिक आक्शन में उसे बाहर भी देना शुरू कर दिया है। जब पब्लिक आक्शन होता है तो बाहर के जो यूटेंसिल्स बनाने वाले लोग हैं वह भी उस में हिस्सा लेते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। इस से पता चलेगा कि जो सामान उन के पास पाया गया है वह सामान इस तरीके से भी जा सकता है। इन तरीकों से उस के पास जाने की बजह से अगर उस में कोई ऐसा हिस्सा रह गया हो तो एक्सप्लोड नहीं हुआ हो वह एक्सप्लोड हो सकता है... (व्यवधान)...

मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि हमारे आर्डिनेंस डिपो से कोई चोरी हो गई है हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि आर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी हुई है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।... (व्यवधान)...

जब चोरी होती है तो उसकी रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट की सूचना भी यहाँ हमारे पास नहीं है। इस तरह से जो भी परिस्थिति है वह मैं ने आपके सामने रख दी है।

अब आपने जो सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन्स किए हैं कि क्या इसमें पोलिटीशियन्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्मीमैन हैं या डॉक्टर्स हैं तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है कि उनके पास यह कैसे पहुंचे। उसका एक यह भी कारण हो सकता है और दूसरा कारण भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद ही, उनके पास सारी चीजें कैसे पहुंची इसका अन्दाजा लगाया जाता है। पहले से ही हमारे मूर सैनिकों

के बारे में मन में कोई शंका लाना, मैं सम्मत्ता हूँ गलत होगा। जब कोई चीज इस्टैबलिश हो जाए तब आप भले ही कहें लेकिन पहले से कोई शंका लाना, मैं सम्मत्ता हूँ सैनिकों के आत्मविश्वास की दृष्टि से गलत होगा। सदन में या सदन के बाहर न्यूजपेपर में इस तरह की बात कहना जिससे कि सैनिकों के आत्मविश्वास को ठोकर लगे, मैं सम्मत्ता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है।

यह भी पूछा गया कि सी० बी० आई० से जांच कराने की बात हम सोच रहे हैं या नहीं। घसल में जो वहां पर घटना हुई उसमें मृत्यु भी हो गई इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वह मृत्यु का भी होगा और कैसे उनके पास यह पहुंचा इसका भी होगा। आर्मी से भी मदद मांगी है और हमने मदद की है। आज तो यह जांच सी० बी० आई० को देने का सवाल नहीं उठता है। आज ऐसा नहीं लगता है कि सी० बी० आई० को देने की कोई जरूरत है।

डकैट्स के बारे में कहा गया कि वे ऐसे हथियार पा जाते हैं। आपका जो काल-प्रेंटेशन नॉटिस था उसमें इस सम्बन्ध में कोई आभास नहीं लगा इसलिए मैं इसके बारे में उत्तर नहीं दे सका।

इस तरह से जो पूरी स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी है और इसमें कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। जो भी सूचना आई है वह आपके सामने रख दी है। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपका समाधान हो जाना चाहिए।

श्रीमती प्रबिला इंडवते : डकैट्स के बारे में तो कल न्यूज में आया है और श्री बी० आई० को देने के लिए आपने उत्तर नहीं दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has replied to that. He has replied about CBI.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): The incident that has been referred to in the Calling Attention notice is supremely important.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): She asked whether the police officers have asked for the CBI enquiry. He has not replied.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has replied. Mr. Chakraborty.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: The statement clearly brings out the role which Government is playing to evade its responsibility. It is demonstrated in the statement which the hon. Minister has placed before the House. One funny thing in the incident is this. It is said that some local people are responsible for all these things. The Minister is responsible for the security of our counsions under their protective umbrella for the security of the nation. Indulging in such statements only exposes the role played by the Government that they are happily sleeping and are trying to evade their responsibility or that they are trying to keep some persons under their protective umbrella. That is the point I wish to bring out. I do not know whether the Minister has any direct experience about the firing and all that. May I ask him one thing? Is it not a practice that when any sort of firing takes place, if there is a shell unexploded, that is taken into account?

PROF. MADHU DANAVATE (Rajapur): He has seen one man firing at another.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: May I ask this for reply from the Minister? Is it an easy thing in the army for the ordinary people to collect all these things, as if certain things are falling from the sky? If you go through the state-

[Shri Satyasadhan Chakraborty]

ment you will see how dangerously the Minister has tried to evade the issue. I understand his difficulty. It is because he has to depend on the officers, it is possible that a section of the army officers are involved in the racket along with the traders. Otherwise, how are you going to explain that the anti-social elements are using the sophisticated weapons at present? These weapons are either coming from outside the country or supplied from within the country. It is the responsibility of the Government, particularly of the Defence Department to stop this activity. They should identify the areas which are exposed to such types of smuggling and also bring the culprits to book. You should maintain a top security in this respect and you should give top priority to this.

Now, in the statement it is said when the firing exercises took place some people living in the surrounding areas often hide themselves in the vicinity of the ranges risking their lives. Now, why do you allow them to hide themselves here? It is nity? If the political elements hide themselves, you would remove them within one hour. But when these people are trying to take away the dangerous thing, how is it possible for them to hide themselves here? It is said that they take away the shells which are fired and when they remain unexploded. This is a story circulated to convince the kiddies. This appears to be almost a nursery tale which is not true. I can tell you that this is not a single instance. There have been many occurrences of this type where a section of the army officials and a section of the businessmen were involved in such rackets. Even the hon. Minister would remember that some top Defence personnel were involved in giving out some secret documents of the Defence Department to foreign nationals. I would like to point out that it is the duty of the Government to see that such things do not recur in future. No assuance has been given in the

statement on this point. You have said that you do not know how these things found their way to the shops. That is important and if you rely upon your departmental enquiries and if you rely on those persons, then it will be difficult for you to get the facts. This has become a profitable business for them and they are earning enormous money in this kind of activity. Otherwise why this kind of hush hush is taking place? The worker of the Bartan Bhandar was telling the trader "Sir, send me to the hospital. Don't kill me. If one worker is killed another worker will also be killed." I would like to ask the Minister one thing. You had issued a statement in this connection in the Rajya Sabha also. I have gone through that statement where it is mentioned that statement where it is mentioned connection. Here also you could have said that you were awaiting the findings of the investigations. Now, may I ask the hon. Minister when is he going to complete the investigation? If there is a *prima facie* case that something illegal has happened, are you going to hand over this case to the C.B.I.? Are you going to issue a statement that you are sincere about it and you are going to bring the culprits to book? I hope you will bring these facts to light without any prejudice and see that those responsible for it will not go scot free because you do not like a particular section of the press. Of late, you have developed some antipathy towards the press. But in a democratic country like ours, it is the duty of the press to bring all these things to light and it is also the duty of the hon. Minister including the hon. Minister for Information and Broadcasting, Shri Vasant Sathe, to give wide publicity to all these things and also to what we say, the Members on the Opposition side.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): I can give wide publicity, not wild publicity.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Until you go wild, you

cannot give wild publicity.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I must submit to this House that the duty and the responsibility of the army is to protect the sovereignty and the territorial integrity of the nation. It is left to the police force to find out as to who the thieves, robbers, dacoits, murderers are. My hon. friend on the other side probably wants that we investigate the matter and collect the information and give it to the House. I would very humbly submit that this is not the responsibility of the army or of the Defence Ministry. Only because certain things which are used by the Defence Ministry are involved in it, we are giving assistance to them to find out whether those things are 'live', dead or blind or anything of that kind. Anything more than that is not required to be done by the army. The hon. Member has said that some army persons are involved in it. I would beseech the hon. Members in this House not to level this kind of allegations against the brave soldiers and the officers of the army. It is only after getting full evidence, if their guilt is established, you can make such allegations. It is said that judge that you be not judged. Let us not judge them before getting the evidence. Let us not allege things against them... (*interruptions*). I would request you not to do that.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: We did not say anything about our soldiers; we are proud of them. But there may be a section of officers, and they are not like Ceaser's wife that their conduct cannot be questioned. I do not think so. There may be some blacksheep.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And you said 'May be'.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Yes, Sir.

PROF. MADHU DANDAVATE: In the case of Dhabhwali and Bagpat, a section of the police was alleged to

be involved and the enquiry commission has established the fact that they were responsible; and they were held responsible. It does not mean that we are casting aspersions on the entire police force.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I just said this in response to what was said here. Now, if you check the record, you will find that what I am saying now is correct. And if you withdraw what you have said, I would be very happy about it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is unfair... (*interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I will not permit this. He is replying to you and every now and then you are standing up...

There are some rules for calling attention...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: And you would allow me to be crucified... (*Interruptions*).

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I do not want my friend to be crucified; I want that his statement should be crucified. The hon. Member wants to know as to when the investigation would be completed. I have put across to the hon. Members that it is not for the Defence Ministry or the army personnel to investigate into this matter; it is for the police in Uttar Pradesh to investigate and give the report to the court and to the concerned authorities. Generally, they take about three months to investigate such offences, but if there is something important, they should do it quickly. There is no doubt about it. But I am not in a position to tell you as to when this investigation would be completed.

I have hidden nothing from the House and put everything before the House and it is for the House to judge. I would only request not to allege anything against the brave...

[Shri Shivraj V. Patil]

diers and brave officers unless their guilt is proved.

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) :

माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं, हम उन के साथ हैं और सारे सदन कि ऐसी ही भावना है। हमें अपनी सेनाओं पर और सेना के लोगों पर गर्व है लेकिन जैसे पहले भी अखबारों के जरिये हम को मालूम हुआ है कि 1969 में कुछ आर्मी पर-सोनेल के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि वे विदेशों के साथ जासूसी करते हुए पाये गये और इस तरीके की बात सुनने में आई थी। तो यह हो सकता है कि कुछ ऐसे गलत तत्व हैं, जिन की वजह से सारी आर्मी बदनाम होती है और उस संदर्भ में मैं दो, तीन बातें मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

पहली बात यह है और आपने अपने उत्तर में भी कहा है कि हमने सेना के एक्स-पर्ट्स को और अधिकारियों को वहां जांच के कार्य में सिविल आथोरिटीज की मदद करने के लिए भेजा है, तो इस क्रम में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप की सेना के जो अधिकारी वहां गये थे उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जो सामग्री उस बर्तन भण्डार में पाई गई बिस्कोट की, वह किस एम्प्लोयेशन डिपो में बनी हुई थी, उस पर किस का मार्क था ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस सेना के किस यूनिट को वह सप्लाय की गई ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि जहां यह मेन्फ्रेन्चर हुई थी, वहां तो कोई गलती नहीं हुई है, वहां से तो किसी प्रकार का लीकेज नहीं हुआ है या जिस यूनिट को वह

दी गई, वहां तो कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि अगर वहां से किसी तरह की गलती हुई है, तो उस की जांच होना जरूरी है।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस बर्तन भण्डार में यह चीज मिली है क्या वह इस बात के लिए आथेराइज्ड एजेंट था कि वह इस तरह की जो रक्षा की चीजें हैं, उन को खरीद सके और उन को किसी और यूज में ला सके? क्या इस चीज के लिए वह लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति है ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि हमारे यहां के जो आर्मी के अफसर वहां गये थे, उन्होंने इस की जांच-पड़ताल की है या नहीं और वह क्या है ? मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इन्वेस्टीगेशन होता है, तो इन्वेस्टीगेशन करने का काम पुलिस का है, आर्मी का नहीं है। आर्मी के लोग वहां जा कर बता रहे हैं कि वह कैसा एम्प्लोयेशन है, एक्सप्लोड होने जैसा या एक्सप्लोड हुआ वाला है, पूरा है या आधा एम्प्लोयेशन है। जब पुलिस वहां जाती है, तो वहां जो कुछ भी गिरा हुआ रहता है...

AN HON. MEMBER: rose

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER: I am not permitting. He is replying to Shri Rawat. Only he can ask for a clarification.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER: It is not a general discussion.

श्री शिबराज श्री० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह इन्वेस्टीगेशन किस पद्धति से होता है। इस चीज के बारे में जानकारी पाने के बाद जो शंकाएँ हैं, कुछ शंकाएँ जो हमारे सदस्यों के मन में उठ रही हैं, वे खत्म हो सकती हैं। जब इन्वेस्टीगेशन होता है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर जो भी चीज पाई जाती है, उस का पंचनामा किया जाता है, बाहर के लोगों को ले कर वहाँ जो भी चीज पाई जाती है, हर चीज का पंचनामा किया जाता है और वह कोर्ट में भेजा जाता है और उस में सब कुछ लिखा रहता है। यह काम पुलिस का है और हमारी आर्मी के जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन का नहीं है। एक्सपर्ट लोग वहाँ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आर्मी के लोगों को इस में इन्वेस्टीगेशन करनी चाहिए, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा कहना यह है कि इस में आर्मी के लोग इन्वेस्टीगेशन नहीं कर सकेंगे, ऐसे हालात में जबकि पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टीगेशन कर रही है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : कोई लीकेज तो नहीं है इस का इन्वेस्टीगेशन कर सकते हैं ताकि आयन्दा ऐसा न हो सके।

श्री शिबराज श्री० पाटिल : मैं यही कह रहा हूँ। जो इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, वह एक तरीके से हो रहा है और आप ऐसा समझ कर चल रहे हैं कि इन्वेस्टीगेशन करने का काम आर्मी का है, इसलिये आर्मी को करना चाहिए। आर्मी की उस के अन्दर कोई चीज मिली है या कार्टरिजेंज मिली हैं इसलिए आर्मी को इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए इसमें पहले समझने की बात यह है कि यह चीज चोरी के मामले की है जिस में एक्सीडेंट हुआ है। अब उस के पास

साइसेन्स है या नहीं है, यह देखने का काम भी वहाँ पर हो रहा है और इस के बारे में मेरे पास अभी कोई इन्फार्मेशन नहीं है कि उस के पास साइसेन्स है या नहीं, लेकिन उस के बारे में इन्वेस्टीगेशन होना जरूरी है और कोर्ट में उस का जाना जरूरी है, मगर इतना आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टीगेशन का काम पुलिस के ऊपर है और आर्मी को अगर आप यह समझें कि वह इन्वेस्टीगेशन करे और उस को हमारे सामने लाए तो इन दोनों में डिफ्रेंशियेट करना जरूरी है।

13 hrs.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए था। जिन सारी बातों का हमें जवाब चाहिए था, वह तो आ नहीं रहा है। होम मिनिस्टर जवाब देते तो अच्छा होता और मंत्री जी यह कह देते कि यह मेरा काम नहीं है। खैर जो सवाल हम आप से कर रहे हैं उन सबालों का जवाब तो आपको देना चाहिए। इसमें सब से बड़ा गलत काम यह हुआ है कि इसमें सारी इन्क्वायरी होम मिनिस्ट्री कर रही है।

अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ की बातें चाहे गलत हों या सही, अखबार वाले निकालें तो आपको उन्हें देखना है या नहीं। यह 24 तारीख को बकाया हुआ था। इसमें यह कहा है कि—

“Among the items recovered from the building where the blast, resulting in two deaths, occurred are 84 live bombs, 15 rockets, six naval missiles and over 30 bagfuls of spare parts used to make anti-aircraft, gun shells and tank spare parts...”

[श्री मूलचन्द डागा]

यह जो इस तरह का लिखा है और यह भी लिखा है। आप कहते हैं कि जवानों के लिए हमारा आदर है लेकिन एक बात में कहता हूँ कि यह जो 40 अरब रुपये का हमारा डिफेंस का बजट है, इस में हमें यह भी देखना है कि वहाँ सब कुछ दूध का घुला हुआ नहीं है। आपको यह आइडिया ले कर नहीं चलना चाहिए।

आपके यहाँ जो फायरिंग रेंज है क्या वहाँ से कोई भी, हुरेक आदमी स्केप ले/जा सकता है? क्या वह स्केप आप इफ्टा करके आक्शन नहीं करते हैं? आप यह कहते हैं कि वहाँ से कोई ले गया होगा, आपका इतना बड़ा रेंज है।

दूसरी बात, इतना जो सामान निकला है, वह सामान कहाँ का है? आपने जवाब में कहा कि इन्वेंस्टीगेशन टीम वहाँ भेजी गयी, आपकी टीम जब वहाँ गयी और उसने इसकी जांच की तो उसने देखा होगा कि सामान कहाँ से निकला हुआ है? क्या यह सामान आक्शन हुआ था, किसी कांटेक्टर ने लिया था? कितनी कीमत का यह सामान उसके पास से निकला है, इसके बारे में आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? अखबार में निकला है कि इस टीम के जाने से पहले वहाँ 12 बार मिलिट्री के आफिसर्स जा चुके हैं।

उन्होंने बार बार देखा कि क्या है और उन्होंने अखबार वालों को कहा कि हम मैसैजर्स भेज रहे हैं। जब आपके आफिस में खबर आयी रक्षा विभाग के नोटिस में यह बात आयी तो रक्षा विभाग इसमें कोई डिटेल में इन्क्वायरी कर रहा है या नहीं? क्या आपने इसे होम मिनिस्ट्री पर ही छोड़ दिया है?

श्री शिवराज बी० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि आप जवाब क्यों दे रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं दे रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने हम से पूछा तो हम जवाब दे रहे हैं, अगर आप होम मिनिस्टर साहब से पूछते तो वे जवाब दे देते।

दूसरी बात आपने बतायी है कि वर्तमान स्तर में जो कुछ भी आ रहा है उसके आधार पर यह सही घटना है। मैंने अपने स्टेटमेंट में, जो कुछ भी फंक्ट वहाँ पाया गया है वह सब इस रुदन के सामने रखा है। इस रुदन में जो कुछ भी हम कहते हैं वह प्रोटेक्टड है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता और ऐसा होना ही चाहिए।

क्या मैं विनती कर सकता हूँ कि वर्तमान पत्र में जो आया है वह सही है उसकी भी जांच पड़ताल करके आप पूछते? जिसको देश की रक्षा करनी है, क्या उसके बारे में ऐसे ही शंका करके, उसके आधार पर आप बहुत कुछ बुरा-भला कहना चाहेंगे? आपने अगर इसके बारे में जांच पड़ताल की है, उसकी रिस्पॉसिबिल्टी भी आप ले रहे हैं तो आप पत्र का नाम भी लीजिए। अगर रिस्पॉसिबिल्टी आप नहीं ले सकते हैं तो केवल पत्र में यह आया है; उसके आधार पर आप क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे? (व्यवधान)

SHRI MOOL CHAND DAGA: This had appeared in the Indian Express.

इंडियन एक्सप्रेस में सात तारीख को यह घटना हुई है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैं इंडियन एक्सप्रेस या किसी वर्तमान पत्र के बारे

में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपने इस आधार को लेकर यह प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ.....। (व्यवधान)*

श्री मूलचन्द डग्गा : डिफेंस डिपार्ट-मेंट ने उसमें रिवाटल नहीं किया है।

You have not rebutted that. This was a departmental study. You have not rebutted it. Why do you not rebut it?

श्री शिवराज बी० पाटिल : मेरा इतना ही निवेदन है कि आप वर्तमान पत्र के आधार पर ही कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नोजवान और हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ ऐक रह गया है तो ...। (व्यवधान)**

इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी यहां पर करने जा रहे हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? (व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Minister is replying to Mr. Daga. Interruptions will not go on record. Mr. Minister, you reply.
(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you need not reply to it. You reply to Mr. Daga. Let it not go on record. Minister is replying.
(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow. The rules do not permit. Yes, Mr. Minister, you reply. I have to run the House according to the rules. I will not allow this. No question is allowed. (Interruptions)**

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके रूल में भी यही प्रोविजन किया गया है कि किसी भी पत्र के आधार पर यदि कोई चीज सदन में आप उठाना चाहते हैं...। (व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: You reply to Mr. Daga. (Interruptions)**
Let him reply.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I am speaking on the basis of the information published in papers. (Interruptions)**

श्री शिव राज बी० पाटिल : आपने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं कही, लेकिन यदि आप किसी के खिलाफ कुछ कहने जा रहे हैं तो आपके पास पूरा आधार भी होना चाहिए, इतना ही नम्रता से मैं आपको बता रहा हूँ।
(व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. No. I am not allowing.

PETITION RE. TAKING OVER OF WHOLESALE FOODGRAINS TRADE, STRENGTHENING OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM, ETC.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I beg to present a petition signed by Shrimati Vimla Farooqui and others regarding take-over of wholesale foodgrains trade, strengthening of public distribution system, remunerative prices for agricultural produce and nationalisation of sugar, cotton, textiles and drugs industries.

I want to...